4/3 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. IPO सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/22 को पेश हो।

12/3/2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/3/2022 को पेश हो।

22/3/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 24/3/2022 को पेश हो।

24-03-22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम राजनगर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 73 व 51 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र माला दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र माला है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम पप्पु पुत्र माला गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र माला है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम पप्पु पुत्र माला गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र माला है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता की प्रतियों से तथा ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2021 से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)